



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 31, 2019 (CHAITRA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2019

संख्या 51/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 32/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 32/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019, में,—

(i) सारणी में, खाना (3) में, खण्ड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया है, इस अधिसूचना के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प लेता है, वह इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में, विकलन द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के अधीन की गई प्रदाय, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।”।

(ii) पैरा 3 में, व्याख्या में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो कि इस अधिसूचना के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो।”।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2019

No. 51/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section-16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the “said Act”), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 32/GST-2, dated the 8th March, 2019, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 32/GST-2, dated the 8th March, 2019, -

- (i) in the Table, in column 3, after clause 7, the following clause shall be added, namely: -

“8. Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under this notification, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts the provisions of section 18(4) of the said Act and the rules made there-under and after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.”;
 - (ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be added, namely: -

“(iii) the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, as applicable to a person paying tax under section-10 of the said Act shall, *mutatis mutandis*, apply to a person paying tax under this notification.”.
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.